क्रम संख्या—71

पंजीकृत संख्या—यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०—30/2012—14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 21 मार्च, 2014 ई०

फाल्गुन 30, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 119/XXXVI(3)/2014/25(1)/2014

देहरादून, 21 मार्च, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014"** पर दिनांक 20 मार्च, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 16 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व—साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 16 वर्ष 2014)

{भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित}

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में अग्रेतर संशोधन के लिए—

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन

2. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात—

"विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर देहरादून में अवस्थित होगा और हरिद्वार स्थित ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं गुरूकुल कांगड़ी राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय विश्वविद्यालय के परिसर होंगे। विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के संकल्प पर राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त राज्य के किसी अन्य स्थान पर भी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त परिसर स्थापित कर सकेगा।"

धारा 9 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 9 निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात—

<u>विश्वविद्यालय के अधिकारी</u>

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होगें, अर्थात् —

(क) कुलाधिपति,

(ख) कुलपति,

(ग) वित्त अधिकारी,

(घ) कुलसचिव, और

(ङ) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में घोषित किया जाये।

धारा 16 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात—

"कुलसचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। राज्य सरकार किसी ऐसे अधिकारी की कुलसचिव पद पर यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित योग्यता एवं वेतनमान के अनुरूप प्रतिनियुक्ति/ तैनाती/ नियुक्ति कर सकेंगी। "